(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड– I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 26/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 07 जुलाई, 2015

विषयः– प्रशुल्क दर कोटे के तहत यूएसए को खांड के निर्यात के लिए अतिरिक्त मात्रा का आबंटन।

विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा अमरीकी राजकोषीय वर्ष 2015 (1 अक्तूबर, 2014 से 30 सितम्बर, 2015 तक) के लिए यूएसए को प्रशुल्क दर कोटे (टीआरक्यू) के तहत निर्यात के लिए गैर–उपकर (मुक्त बिक्री) कोटे में से खांड (98 डिग्री पोल पर) के 2095 (दो हजार पंचानवे मीट्रिक टन) की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन करते हैं। यह सार्वजनिक सूचना सं0 9/2015–2020 दिनांक 1.5.2015 के द्वारा टीआरक्यू कोटा के तहत यूएसए को निर्यात के लिए अधिसूचित खांड की 8424 मीट्रिक टन (आठ हजार चार सौ चौबीस मीट्रिक टन) मात्रा के अलावा होगी।

2. अधिसूचना सं0 3/2015–20, दिनांक 20.4.2015 के अनुसार, टीआरक्यू के तहत यूएसए को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात, उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों का स्वरुप' में अधिसूचित शर्तों के अधीन होगा।

3. यूएसए को तरजीही चीनी के निर्यात हेतु उद्‌गम प्रमाण–पत्र यदि अपेक्षित हो, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यूएस को चीनी के निर्यात के लिए विशेष रूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन आवश्यकताओं, यदि कोई हो, का अनुपालन किया जाना जारी रहेगा।

4. अधिसूचना सं0 3/2015–2020, दिनांक 20.4.2015 द्वारा यथाअधिसूचित रिपोर्टिंग की आवश्यकता का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

5. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

टीआरक्यू कोटे के तहत यूएसए को 30.9.2015 तक निर्यात किए जाने के लिए 2095 मीट्रिक टन की अतिरिक्त मात्रा को अधिसूचित कर दिया गया है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/91/180/879/एएम 08/निर्यात सैल/पार्ट से जारी)